

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय मुकाम रामगढ शेखावाटी कैम्प कोर्ट ताखलसर
व अलजाम श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.)

1. भगवानसिंह दत्तक पुत्र गिन्दाराम
2. विनोद दत्तक पुत्री उदाराम
3. प्रेम कुमारी दत्तक पुत्री मनी समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम रूकनसर तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।

.....वादीगण

बनाम

1. हाजी अकबर अली पुत्र सुभान सोलंकी जाति तेली निवासी वार्ड नम्बर 21 करबा फतेहपुर जिला सीकर।
2. चोखाराम पुत्र बोदूराम जाति बलाई निवासी वार्ड नम्बर फतेहपुर जिला सीकर।
3. तहसीलदार (भूमि धारक) एवं उप पंजियक रामगढ शेखावाटी जिला सीकर।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकद्दमा नम्बर -24/17 सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्रीमती रेणु मीणा (आर. ए. एस.) व हाजरी वादी संख्या 01 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88 व 188 रा. का. अधिनियम प्रमाणित नही होने पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

निजीX..... मुबलिकX.....बाबत X
खर्चा इस मुकद्दमें का मय सूद वगैरह Xफीसदी सालाना आज की तारीख वसूलिया वितक..... Xको अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 07.06.2018 सन् 2018 को जारी किया गया।

दस्तख्त.....

ओहदा

मोहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02.00	00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00	स्टाम्प वकालत नामा	01.00	00
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प बजह सबूत		
महन्तनामा वकील			महन्तनामा वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		